न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 06/2018 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– चेतराम पुत्र श्री केशुराम जाति बावरी निवासी 13 बी.एल.एम.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

–– बनाम ––

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लोक अभियोजक

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री संजय रामावत — अभिभाषक अपीलांट
श्री विष्णु स्वामी — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 09.10.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत उप जिला मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 22.07.2009, जिसके द्वारा अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 29ए/2000 दि. 7.9.2000 तहसीलदार, श्रीविजयनगर निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं.29ए/2000 दि. 7.9.2000 तहसीलदार, श्रीविजयनगर बना है, जिस पर टोपीदार एमएल गन दर्ज है। प्रकरण में उप पुलिस अधीक्षक, अनूपगढ की रिपोर्ट क्रमांक 379 दिनांक 28.01.08 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा सं. 6/08 अन्तर्गत धारा 30 आर्म्स एक्ट में दर्ज होने व अन्तर्गत धारा 9/51डब्ल्यू.एल.पी.एक्ट में शस्त्र पुलिस थाना में जब्त होने के साथ अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण न करने की अनुशंषा की गई है, जिसके आधार पर अपीलांट का उक्त लाईसेंस उप जिला मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर द्वारा बाद जांच आदेश दिनांक 22.07.2009 द्वारा निरस्त किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया । वक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट के विरूद्ध मु. सं. 6/09 दर्ज हुआ था, जिसमें उसके खिलाफ धारा 9/51 डब्ल्यू एल पी एक्ट के तहत कोई चालान पेश नहीं हुआ है। मात्र राजु नामक व्यक्ति को बचाने के लिये पुलिस ने प्रार्थी की बन्दूक जब्त की है। अपीलांट को उक्त मुकदमा में झूठा फंसाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र इस आधार पर कि अपीलांट के विरूद्ध मु.नं. 6/08 अन्तर्गत धारा 30 आर्म्स एक्ट एवं 9/51 डब्ल्यू एल पी एक्ट दर्ज है एवं प्रार्थी अपीलांट की बन्दूक उक्त प्रकरण में थाना में जब्त है, जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का उक्त लाईसेंस निरस्त कर दिया गया है जबकि राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग के परिपत्र दि. 16.12.06 के अनुच्छेद 8.1 के अनुसार लाईसेंस धारक के विरूद्ध आपराधिक मामले में सजा होने, आपराधिक मामला विचाराधीन होने, शांति भंग होने की जानकारी मिलने पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जा सकता है जबकि प्रकरण में शस्त्र का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है एवं ना ही अपीलांट के खिलाफ 9/51 डब्ल्यू एल पी एक्ट के तहत चालान पेश किया गया है एवं साथ ही मात्र प्रकरण रंजिशवश झूठा दर्ज करवाया गया था जिसकी गहनता से जांच किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण में उक्त मुकदमा में अपीलांट को अदालत ए.सी.जे.एम., अनूपगढ के निर्णय दिनांक 21.12.2016 द्वारा बरी कर दिया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून तथ्यों एवं परिस्थितियों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने की वजह से एवं आर्म्स एक्ट में दिये आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश 22.07.2009 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे ।

4. विद्वान सहायक लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि उप पुलिस अधीक्षक, अनूपगढ की रिपोर्ट दिनांक 28.01.08 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध 6/08 अन्तर्गत धारा 30 आर्म्स एक्ट एवं 9/51 डब्ल्यू एल पी एक्ट दर्ज होना बताते हुए नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई है। ऐसे व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से उसके दुरूपयोग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। अपीलांट के गांव में आपसी रंजिश व गुटबाजी है। लोक शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने की प्रबल संभावना है। प्रकरण में व्यापक लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.09 उचित आधारों पर है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. हमने अपीलान्ट के अपील मीमो एवं राज्य पक्ष सहायक लोक अभियोजक की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट के विरूद्ध मु.नं. 6/08 अन्तर्गत धारा 30 आर्म्स एक्ट एवं 9/51 डब्ल्यू एल पी एक्ट में अपीलांट की बन्दूक उक्त प्रकरण में थाना में जब्त है । अपीलान्ट के पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का उक्त लाईसेंस निरस्त कर दिया गया है। राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.12.2006 के अनुच्छेद 8.1 के अनुसार लाईसेंस धारक के विरूद्ध आपराधिक मामले में सजा होने, आपराधिक मामला विचाराधीन होने, शांति भंग होने की जानकारी मिलने पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जा सकता है। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य रुप से कथन है कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा शस्त्र का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। विचाराधीन मुकदमा में अपीलांट को अदालत ए.सी.जे.एम., अनूपगढ के निर्णय दिनांक 21.12.2016 द्वारा बरी कर दिया गया है। न्यायालय के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद उप पुलिस अधीक्षक, अनूपगढ की रिपोर्ट दिनांक 28.01.08 के अनुसार अपीलांट के विरुध्द दर्ज मुकदमा सं0 6/08 अन्तर्गत धारा 30 आर्म्स एक्ट एवं 9/51 डब्ल्यू एल पी एक्ट में दर्ज होने व अपीलांट का शस्त्र पुलिस थाना में जब्त किये जाने का उल्लेख करते हुए अपीलांट का लाईसेंस नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा किये जाने का उल्लेख है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस अनुसार अपीलांट के गांव में पार्टीबाजी व रंजिश है। गांव की पार्टीबाजी के कारण रंजिशन शस्त्र के दुरूपयोग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इस प्रकार सहायक लोक अभियोजक के इस कथन को बल मिलता है कि व्यापक लोक शांति, कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उप जिला मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2009 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः उप जिला मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर का आदेश दिनांक 22.07.2009 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 09.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर